परिपत्र सं. 04/2025

एफ. सं. 285/08/2014-आईटी (अन्वे.V)/281
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
******

दिनांक: 17 मार्च, 2025

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अपराधों के शमन हेतु दिशा-निर्देशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) दिनांक 17.10.2024

सीबीडीटी ने 17.10.2024 को आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के तहत अपराधों के शमन के लिए संशोधित दिशानिर्देश ('दिशानिर्देश') जारी किए। ४ संशोधित दिशानिर्देशों ने इस विषय पर सभी मौजूदा दिशानिर्देशों को हटा दिया है और यह लंबित और साथ ही नए आवेदनों पर उनके जारी होने की तारीख से लागू हैं

2. संशोधित दिशा-निर्देशों को पिछले दिशा-निर्देशों की तुलना में सरल बनाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपराधों के वर्गीकरण को समाप्त करना, आवेदन दाखिल करने के लिए अवसरों की संख्या की सीमा को हटाना, दोषों को दूर करने पर नए सिरे से आवेदन की अनुमति देना, जो पहले के दिशा-निर्देशों के तहत स्वीकार्य नहीं था, अधिनियम की धारा 275क और 276ख के तहत अपराधों के शमन की अनुमति देना, आवेदन दाखिल करने की मौजूदा समय-सीमा अर्थात शिकायत दाखिल करने की तिथि से 36 महीने को हटाना आदि शामिल हैं।

3. दिनांक 17.10.2024 के संशोधित दिशानिर्देशों के संबंध में हितधारकों के बीच बेहतर जागरूकता और समझ के लिए, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर के रूप में एक परिपत्र जारी करके स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है:

A. अपराध का शमन

प्रश्न 1 अपराध का शमन क्या है?

उत्तर: किसी अपराध का शमन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत दोषी को अभियोजन से बचने के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करने का अवसर देकर प्रमुख कानूनी परिणामों से राहत दी जाती है। निर्दिष्ट अपराधों का शमन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही शुरू होने से पहले या बाद में किया जा सकता है।

प्रश्न 2 क्या किसी अपराध का शमन आवेदक द्वारा अपराध की स्वीकृति के रूप में माना जाता है?

उत्तर: नहीं, शमन करने का उद्देश्य अपराध का समाधान करना है और इसे आवेदक द्वारा ऐसे अपराध की स्वीकृति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 9.11)**

प्रश्न 3 क्या आयकर अधिनियम के तहत कोई ऐसा अपराध(ओं) है जो शमन योग्य नहीं है?

उत्तर: नहीं, आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों को 17.10.2024 के संशोधित दिशानिर्देशों में शमनीय बना दिया गया है।

B. सक्षम प्राधिकरण/अधिकार क्षेत्र

प्रश्न 4 आवेदक द्वारा शमन आवेदन कहाँ दाखिल किया जा सकता है?

उत्तर: शमन आवेदन क्षेत्राधिकार प्राप्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त / प्रधान महानिदेशक / महालेखा परीक्षक के समक्ष दाखिल किया जा सकता है, जो अपराधों के शमन के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 8.1)**

प्रश्न 5 जहां टीडीएस से संबंधित अपराधों के लिए आवेदक के क्षेत्राधिकार में एक से अधिक क्षेत्राधिकार शामिल हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी कौन होगा?

उत्तर: ऐसे मामले में, प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी/प्रधान डीजीआईटी/डीजीआईटी जिनके अधिकार क्षेत्र में शमन आवेदन दाखिल किया गया है, सक्षम प्राधिकारी होंगे। तथापि, यदि आवेदक एक से अधिक क्षेत्राधिकार प्रभारों में आवेदन दाखिल करता है, तो सक्षम प्राधिकारी वह क्षेत्राधिकार प्राधिकारी होगा जहां टीडीएस चूक की मात्रा अधिक है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 8.2)**

प्रश्न 6 वह सक्षम प्राधिकारी कौन होगा जहां आवेदक के पास एक से अधिक टीएएन हैं और इन टीएएन पर क्षेत्राधिकार एक से अधिक क्षेत्राधिकार प्रभार के साथ है?

उत्तर: ऐसे मामले में, वह क्षेत्राधिकार प्राधिकरण जहां टीडीएस चूक की मात्रा अधिक है, सक्षम प्राधिकारी होगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 8.3)**

C. शमन आवेदन और प्रभार

प्रश्न 7 क्या शमन हेतु आवेदन के लिए कोई प्रारूप एवं प्रभार निर्धारित किया गया है?

उत्तर: शमन के लिए आवेदन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-1 में निर्धारित प्रारूप में दाखिल किया जाना चाहिए। आवेदन में एक या एकाधिक वर्ष/तिमाही से संबंधित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एक या अधिक अपराध शामिल हो सकते हैं। आवेदन पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र के रूप में, दिनांक 17.10.2024 के संशोधित दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2.1 के अनुसार आवेदन शुल्क के साथ दाखिल किया जाना चाहिए। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.1 और 4.2.1)**

प्रश्न 8 क्या शमन हेतु आवेदन दाखिल करने की कोई समय-सीमा है?

उत्तर: नहीं, अपराध होने के बाद किसी भी समय शमन हेतु आवेदन दाखिल किया जा सकता है, भले ही मामला विभाग के संज्ञान में आया हो या अभियोजन कार्यवाही शुरू हो गई हो। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.3)**

प्रश्न 9 क्या एक आवेदक जिसका आवेदन संशोधित दिशानिर्देश जारी करने से पहले लंबित था, उसे पैरा 4.2.1 के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करने की आवश्यकता है?

उत्तर: पहले के दिशानिर्देशों के तहत दाखिल किए गए और 17.10.2024 पर लंबित आवेदनों के लिए कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 4.2.4)**

प्रश्न 10 क्या शमन आवेदन प्रभार देय शमन प्रभार के प्रति समायोज्य है?

उत्तर: हाँ, शमन शुल्क समायोज्य है लेकिन केवल उस अपराध (ओं) के लिए देय शमन शुल्क के प्रति है जिसे विशेष आवेदन में शमन किया जाना है। परस्पर आवेदन समायोजन की अनुमति नहीं है। हालांकि, अगर शमन आवेदन किसी भी कारण से अस्वीकार कर दिया जाता है,

तो आवेदन शुल्क न तो वापसी योग्य होगा और न ही किसी भी बाद के आवेदन के प्रति समायोज्य होगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 4.2.2)**

प्रश्न 11 यदि ऐसे अपराध के लिए आवेदन पहले ही अस्वीकार कर दिया गया हो तो क्या शमन की अनुमति दी जाएगी? यदि ऐसा है, तो क्या पिछले दिशानिर्देशों के तहत अस्वीकार किए गए एक से अधिक आवेदन के लिए अलग-अलग आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता है? शमन आवेदन शुल्क कैसे लिया जाएगा?

उत्तर: हां, यदि एक या एक से अधिक आवेदनों को पिछले दिशानिर्देशों के तहत अस्वीकार कर दिया गया हो, तो आवेदक एकल समेकित आवेदन के माध्यम से अपराध (ओं) के शमन के लिए आवेदन कर सकता है। हालाँकि, नया आवेदन केवल तभी दाखिल किया जा सकता है यदि ऐसी अस्वीकृति उपचार योग्य दोषों (संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 में उदाहरणात्मक उदाहरण) के कारण हुई हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी अस्वीकृति के लिए उन विवरणों के साथ गुण-दोष यानी अपराध और प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के आधार पर कोई आवेदन दाखिल करने की अनुमति नहीं है। इस मामले में समेकित शमन आवेदन के लिए शमन आवेदन शुल्क लिया जाएगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 और 4.2.3)**

प्रश्न 12 क्या संशोधित दिशा-निर्देश लंबित शमन आवेदनों पर लागू होते हैं? यदि हां, तो क्या आवेदकों को एक नया आवेदन दाखिल करना होगा?

उत्तर: हां, संशोधित दिशानिर्देश उन आवेदनों पर लागू होते हैं, जो इन दिशानिर्देशों के जारी होने से पहले लंबित हैं। जिन आवेदकों के आवेदन 17.10.2024 पर लंबित थे, उन्हें नया आवेदन दाखिल करने या कोई नया आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 और 4.2.4)**

प्रश्न 13 क्या आवेदक शमन आवेदन वापस ले सकता है और नया आवेदन दाखिल कर सकता है?

उत्तर: आवेदक पहले के आवेदन (ओं) को वापस लेने के बाद एक नया एकल आवेदन या समेकित आवेदन दाखिल कर सकता है। हालांकि, इस तरह के नए आवेदन को बाद के आवेदन के रूप में माना जाएगा और पैरा 10 के अनुसार उच्च दर लागू होगी। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 10.2)**

प्रश्न 14 क्या आवेदक को उन सभी अपराधों के लिए एक साथ शमन आवेदन दाखिल करना आवश्यकता है, जिनके लिए अभियोजन कार्यवाही शुरू की गई है?

उत्तर: नहीं, आवेदक एकल आवेदन में एक या एक से अधिक अपराधों के लिए आवेदन कर सकता है। उसके आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसने उस विशेष अपराध के लिए आवेदन नहीं किया है जिसके लिए अभियोजन के लिए नोटिस जारी किया गया है और कार्यवाही चल रही है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.2 और 4.1.3)**

प्रश्न 15 किसी व्यक्ति द्वारा कितनी बार शमन आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं, क्या इसकी कोई सीमा है?

उत्तर: नहीं, कोई व्यक्ति कितनी बार भी शमन आवेदन दाखिल कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि वह 'आदतन अपराधी' है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 7.1 और 7.2)**

प्रश्न 16 क्या वह आवेदक जिसका आवेदन दोषी पाए जाने के आधार पर पहले के दिशानिर्देशों में अस्वीकार कर दिया गया था, संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार शमन के लिए फिर से आवेदन करने के योग्य है?

उत्तर: हाँ, ऐसे मामले में अगर अस्वीकृति पूरी तरह से दोषसिद्धि के कारण थी, बिना गुणों की जांच के, पहले के किसी भी दिशानिर्देश के अनुसार, तो ऐसा आवेदक संशोधित दिशानिर्देशों के संदर्भ में फिर से आवेदन कर सकता है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 6.I(क) और (ख))**

प्रश्न 17 यदि आवेदक का आवेदन दोष(ओं) के कारण वापस लौटा दिया जाता है तो क्या वह शमन आवेदन दाखिल कर सकता है?

उत्तर: हाँ, दोषपूर्ण आवेदन को दोषों की सूचना की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर दोषों को दूर करके पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यदि दोषों का निवारण ऐसे समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो आवेदन को आवेदक को वापस कर दिया जाएगा और इसे अस्वीकृत माना जाएगा। ऐसे मामले में, आवेदक फिर से शमन आवेदन कर सकता है जिसे शमन प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्य से बाद के शमन आवेदन के रूप में माना जाएगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 5 और 10)**

प्रश्न 18 पैरा I0.7 के अनुसार, अग्रेषित आवेदनों के मामले में आवेदन की तारीख क्या होगी - आवेदन की मूल तारीख या नए दिशा-निर्देश जारी करने की तारीख?

उत्तर: 17.10.2024 तक लंबित आवेदन को नए दिशानिर्देशों के तहत नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि, इस तरह के लंबित आवेदन की तारीख किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन की मूल तारीख होगी।

प्रश्न 19 क्या वह आवेदक जिसका आवेदन पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार समय पर दाखिल नहीं किए जाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, यानी शिकायत दर्ज करने के महीने के अंत से 12/24/36 महीनों की समाप्ति के भीतर, क्या नया शमन आवेदन फाइल करने के लिए योग्य है?

उत्तर: संशोधित दिशानिर्देशों में 12/24/36 महीनों की सीमा को समाप्त कर दिया गया है और ऐसे सभी आवेदक जिनके आवेदन को पहले सीमा के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, अपराधों के शमन के लिए नए आवेदन दाखिल कर सकते हैं, जिसे शमन प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्य से बाद के आवेदन के रूप में माना जाएगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 और 10)**

D. शमन आवेदन के लिए शर्तें

प्रश्न 20 क्या आवेदक को शमन आवेदन दाखिल करने से पहले शमन किए जाने वाले अपराध से संबंधित अपील वापस लेने की आवश्यकता है?

उत्तर: नहीं, इस तरह की निकासी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आवेदक अपीलों को वापस लेने का कार्य करेंगे, जिसमें शमन किए जा रहे अपराधों से संबंधित रिट याचिकाएं, यदि कोई हैं, या शमन किए जाने वाले अपराध से संबंधित अपील के आधार शामिल हैं, जहां अपील के आधार मिश्रित हैं। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 4.5)**

प्रश्न 21 क्या कोई आवेदक जिसने अपने आवेदन को अस्वीकार करने के लिए रिट याचिका दाखिल की है, जो पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत दाखिल करने से 12/24/36 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल नहीं की गई है और जिस पर अभी भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है, क्या वह पुनः शमन आवेदन दाखिल कर सकता है और इस आवेदन पर किस प्रकार विचार किया जाएगा?

उत्तर: हाँ, आवेदन के साथ माननीय न्यायालय से रिट याचिका वापस लेने का वचन प्रस्तुत करने के बाद, आवेदक फिर से शमन आवेदन दाखिल कर सकता है, जिसे शमन प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्य से बाद के आवेदन के रूप में माना जाएगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 3.2, 4.5 और 10)**

E. उच्च प्राधिकरण की मंजूरी

प्रश्न 22 क्या अपराध को शमन किया जा सकता है, जहां आवेदक को दो साल या उससे अधिक के कारावास के लिए दोषी

ठहराया गया है?

उत्तर: हाँ। भले ही आवेदक को आयकर अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए या किसी अन्य कानून के तहत किसी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक के कारावास का दोषी ठहराया गया हो, जो आयकर अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित है, शमन के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, इस तरह के अपराध केवल संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 6.1 के अनुसार सीबीडीटी के अध्यक्ष की मंजूरी से ही शमनीय होंगे। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 6.I(क) और (ख))**

प्रश्न 23 क्या अन्य एजेंसियों जैसे ईडी/सीबीआई से जुड़े मामलों का शमन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, यदि आवेदक राष्ट्र-विरोधी या आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त नहीं पाया जाता है तो ऐसे अपराध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शमन किया जा सकता है। तथापि, यदि आवेदक ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 6.1(ग) के अनुसार, अपराध का शमन केवल सीबीडीटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से ही किया जाएगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 6.I(ग))**

प्रश्न 24 यदि मुख्य आरोपी के पास एक से अधिक निदेशक/भागीदार हैं और इनमें से एक निदेशक/भागीदार अपराध (ओं) के शमन के लिए आवेदन दाखिल करते हैं, जहां यह पाया जाता है कि अन्य निदेशक/भागीदार, जिन्होंने शमन आवेदन दाखिल नहीं किया है, पैरा 6.1 (ग) में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत आते हैं (धन शोधन के लिए संस्थाओं के उपयोग जैसे तंत्रों के माध्यम से कर चोरी को सुविधाजनक बनाया गया है)। इन दिशानिर्देशों के अनुसार आवास प्रविष्टियों या किसी अन्य तरीके से वास्तविक व्यवसाय के बिना बिक्री/खरीद के फर्जी चालान का उत्पादन के लिए, क्या शमन आवेदन तय करने के लिए उच्च प्राधिकरण की मंजूरी की आवश्यकता है?

उत्तर: यदि किसी मामले में एक से अधिक अपराध शामिल हैं और उन अपराधों में से एक के लिए दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 6.1 के तहत उच्च प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो उस अपराध के लिए दाखिल आवेदन के आधार पर शमन आवेदन को संसाधित किया जाएगा, जैसा कि नीचे समझाया गया हैः

i. यदि आवेदन मुख्य अभियुक्त या सह-अभियुक्तों में से एक या अधिक द्वारा ऐसे अपराध के लिए दाखिल किया गया है, जिसके लिए उच्च प्राधिकारी से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे अपराध की बिना किसी अनुमोदन की आवश्यकता के शमन करने के लिए जांच की जाएगी, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि सह-अभियुक्तों में से कोई भी किसी अन्य अपराध का आरोपी है, जिसके लिए उच्च प्राधिकारी से अनुमोदन की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिए, धारा 277 क के तहत अपराध) और उन्होंने किसी भी अपराध के लिए शमन करने का कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है।
ii. यदि मुख्य अभियुक्त या एक या अधिक सह-अभियुक्तों द्वारा किसी अपराध के लिए आवेदन दाखिल किया गया है, जिसके लिए उच्च प्राधिकारी से अनुमोदन की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, धारा 277क के तहत अपराध), तो अपराध का शमन केवल उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन से ही किया जाएगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 6.I(घ))**

F. शमन प्रभार

प्रश्न 25 पहले के दिशानिर्देशों के तहत अस्वीकार किए गए आवेदन के लिए शमन शुल्क की गणना कैसे की जाएगी और जिसके लिए नया स्वीकार्य आवेदन दाखिल किया गया है?

उत्तर: पहले के दिशानिर्देशों के तहत अस्वीकार किए गए सभी आवेदनों को पहला शमन आवेदन माना जाएगा। तदनुसार, नए समेकित आवेदन को दूसरे आवेदन के रूप में माना जाएगा और संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 10 के अनुसार शमन प्रभारों की गणना की जाएगी। अधिक जानकारी प्रश्न संख्या 30 में चर्चा की गई है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 10)**

प्रश्न 26 इन दिशानिर्देशों के जारी होने से पहले लंबित आवेदनों के लिए शमन प्रभारों की गणना कैसे की जाएगी?

उत्तर: लंबित आवेदन के लिए शमन प्रभार संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 10 के अनुसार पुनः निर्धारण के अधीन हैं। सभी लंबित आवेदन, चाहे वे एक या कई वर्षों/तिमाहियों के लिए हों, को पहले शमन आवेदन के रूप में माना जाएगा और दिशानिर्देश के अनुलग्नक-4 में दिए गए आवेदन में बताए गए प्रत्येक अपराध के लिए शमन प्रभार की फिर से गणना की जाएगी। **(संदर्भः दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 और 10)**

प्रश्न 27 क्या लंबित आवेदन के लिए शमन प्रभार की पुनः गणना करते समय भुगतान के क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी? यदि हाँ, तो क्या अतिरिक्त भुगतान वापसी योग्य होगा या समायोज्य होगा?

उत्तर: हाँ, विशेष अपराध और विशेष वर्ष के लिए पहले से भुगतान की गई राशि का क्रेडिट केवल विशेष अपराध और विशेष वर्ष के लिए लंबित आवेदन के शमन प्रभार की पुनः गणना के दौरान अनुमति दी जाएगी। हालांकि, कोई भी अतिरिक्त भुगतान वापसी योग्य या समायोज्य नहीं होगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 3.1)**

प्रश्न 28 यदि एक नए समेकित आवेदन में एक वर्ष शामिल है जिसके लिए आवेदन पहले दाखिल किया गया था और फिर वापस ले लिया गया था, क्या ऐसे वर्ष के लिए भुगतान किए गए आंशिक शमन प्रभार, जिसके लिए आवेदन वापस लिया जाता है, को समेकित आवेदन के लिए कुल शमन प्रभारों के प्रति समायोजित किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। जिस वर्ष के लिए आवेदन वापस लिया गया है, उसके लिए भुगतान किए गए आंशिक शमन प्रभरों को केवल उस अपराध और विशेष वर्ष के लिए नए समेकित आवेदन में समायोजित किया जा सकता है जिसके लिए भुगतान किया गया था। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 3.2)**

प्रश्न 29 एक आवेदक ने पहले के दिशा-निर्देशों के तहत शमन आवेदन दाखिल किए हैं, जिनमें से दो को सुधारे जा सकने वाले दोषों के कारण खारिज कर दिया गया, दो को शमनीय किया गया और तीन इस दिशा-निर्देश के जारी होने तक लंबित हैं। इन दिशा-निर्देशों के जारी होने के बाद आवेदक को शमन आवेदन कैसे दाखिल करना चाहिए और नए आवेदन पर कैसे विचार किया जाना चाहिए?

उत्तर: जिन आवेदनों को शमनीय कर दिया गया है, उन पर कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। उन सभी आवेदनों के लिए एक समेकित आवेदन दाखिल किया जा सकता है जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था (निवारण योग्य दोषों के कारण) और लंबित आवेदनों के लिए किसी नए आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लंबित आवेदन, चाहे वे एक या कई वर्षों/तिमाहियों के लिए हों, को पहले शमन आवेदन के रूप में माना जाएगा और दिशानिर्देश के अनुलग्नक-4 में दिए गए आवेदन में बताए गए प्रत्येक अपराध के लिए शमन प्रभार की फिर से गणना की जाएगी। अस्वीकृत आवेदनों के लिए नया समेकित आवेदन दूसरे आवेदन के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद दाखिल किए गए आवेदन को बाद के आवेदन (द्वितीय आवेदन) के रूप में माना जाएगा और संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 10 के अनुसार, आवेदन में बताए गए प्रत्येक अपराध के लिए शमन प्रभार की फिर से गणना की जाएगी। **(संदर्भः दिशानिर्देशों के पैरा 3.1, 3.2 और 10)**

प्रश्न 30 बाद के शमन आवेदन(ओं) में शमन प्रभारों की दर कैसे निर्धारित की जाएगी?

उत्तर: शमन प्रभार की दर आवेदन के क्रम और आवेदन किए गए अपराध पर आधारित है। यदि बाद के आवेदन में एक अपराध शामिल है जिसे पहले के आवेदन में भी शामिल किया गया है, तो यह उच्च दर यानी 1.2 गुना, 1.4 गुना, 1.6 गुना

और इसी तरह दिशानिर्देशों के पैरा 10.4 के अनुसार उत्तरदायी होगा; इस तथ्य के बावजूद कि बाद के आवेदन में अपराध और अपराध का वर्ष समान है और पहले का आवेदन खारिज कर दिया गया था या लंबित था या यहां तक कि शमनीय भी कर दिया गया था।

हालांकि, यदि बाद के आवेदन में ऐसे अपराध(ओं) शामिल हैं जो पहले दाखिल किए गए किसी भी शमन आवेदन में शामिल नहीं थे (अस्वीकृत या शमन या लंबित) और अपराध पहली बार लागू किया गया है, तो ऐसे अपराधों के लिए शमन प्रभार की गणना 1101 एमएल दर पर की जाएगी जैसा कि अनुलग्नक-4 में दिया गया है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 10)**

उदाहरण- एक आवेदक ने विभिन्न अपराधों को शमनीय करने के लिए विभिन्न तिथियों पर विभिन्न आवेदन दाखिल किए हैं, जिन पर नीचे विचार किया जाएगा:

परिदृश्य			**स्पष्टीकरण**		
आवेदन तारीख	**स्थिति**	**अपराध (वित्तीय वर्ष)**	**आवेदन का अनुक्रम**	**पहले के आवेदन में शामिल अपराध?**	**दर**
15/01/2021	शमनीय	276ख (2012-13)	**एनए**	**एनए**	**एनए**
17/10/2022	शमनीय	276ग (I) (20 I8-19)	**एनए**	एनए	**एनए**
18/08/2023	खारिज कर दिया	276ख (2013-14)	**एनए**	**एनए**	**एनए**
17/09/2024	लंबित	276घ (2019-20)	प्रथम (कोई नया आवेदन आवश्यक नहीं)	**एनए**	सामान्य दर
01/11/2024 (संशोधित दिशानिर्देशों के तहत टाइल किया गया)	एकल आवेदन (पहले के अस्वीकार किए गए आवेदन के लिए)	276ख (2013-14)	दूसरा	हां, दिनांक 15/01/2021 और 18/08/2023 के आवेदनों में। (दूसरी बार का आवेदन माना जाएगा) *	सामान्य दर का 1.2 गुना
18/12/2024 (संशोधित दिशानिर्देशों के तहत फाइल किया गया)	समेकित आवेदन	276ख (2017-18)	तीसरा	हां, दिनांक 15/01/21, 18/08/2023 और 01/11/2024 (तीसरी बार) के आवेदनों में#	सामान्य दर का 1.4 गुना
		276ग (1) (2019-20)		हाँ, आवेदन दिनांक 17/10/2022 (दूसरी बार) में	सामान्य दर का 1.2 गुना
		275क (2023-24)		नहीं, पहली बार के लिए आवेदन किया गया था (पहली बार)	सामान्य दर

* यह ध्यान दिया जाता है कि आवेदक ने तीसरे आवेदन में तीसरी बार इस अपराध के लिए शमन का विकल्प चुना है और तदनुसार सामान्य दर के 1.4 गुना पर शमन प्रभार लागू होना चाहिए। हालांकि, चूंकि दोनों आवेदन पिछले दिशानिर्देशों के तहत दाखिल किए गए थे, इसलिए संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 10.6 के संदर्भ में ऐसे सभी आवेदनों को संचयी रूप से पहले आवेदन के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार, इन आवेदनों के तहत अपराध को शमन प्रभारों की गणना के लिए एक साथ क्लब किया जाएगा।

यह ध्यान दिया जाता है कि आवेदक ने चौथी बार इस अपराध के लिए शमन का विकल्प चुना है और तदनुसार सामान्य दर के 1.6 गुना पर शमन प्रभार लागू होना चाहिए। हालांकि, चूंकि पहले दो आवेदन पिछले दिशानिर्देशों के तहत दाखिल किए गए थे, इसलिए इन दोनों आवेदनों को संचयी रूप से पहले आवेदन के रूप में माना जाएगा, संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 10.6 के संदर्भ में, 01.11.2024 आवेदन को दूसरे आवेदन के रूप में माना जाएगा और इस आवेदन को तीसरे आवेदन के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार, पहले दो आवेदनों के तहत अपराध को शमन प्रभारों की गणना के लिए एक साथ क्लब किया जाएगा।

प्रश्न 31 क्या शमन आवेदन स्व-प्रेरणा से दाखिल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो शमन प्रभार का निर्धारण कैसे किया जाएगा?

उत्तर: हाँ, शमन आवेदन किसी भी समय, अपराध (ओं) के बाद, स्वप्रेरणा से दाखिल किया जा सकता है, भले ही वह विभाग के संज्ञान में आए या न आए। शमन प्रभार आवेदन के क्रम के साथ-साथ इसके लिए आवेदन किए गए अपराध पर निर्भर करता है और यह इस बात से स्वतंत्र है कि आवेदन स्वप्रेरणा से दाखिल किया गया है या विभाग की सूचना के अनुपालन में है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.3 और 10)**

प्रश्न 32 क्या अभियोजन शुरू होने के बाद शमन आवेदन दाखिल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो शमन प्रभार कैसे निर्धारित किया जाएगा?

उत्तर: हाँ। यदि आवेदन उस महीने के अंत से 12 महीनों के भीतर दाखिल किया जाता है जिसमें अभियोजन शिकायत दाखिल की जाती है, तो शमन प्रभार का निर्धारण दिशानिर्देशों के पैरा 10.2 से 10.5 के अनुसार किया जाएगा जैसा कि प्रश्न संख्या 30 में ऊपर दर्शाया गया है। 12 महीने के बाद दाखिल किए गए आवेदन के लिए, पैरा 10.7 के अनुसार इस प्रकार से गणना किए गए शमन प्रभार में 50% की वृद्धि की जाएगी। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 10)**

उदाहरण: निर्धारितीने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 3 महीने के लिए ₹ 10,00,000/- का टीडीएस चूक किया था। आयकर अधिनियम की धारा 276ख के तहत 01/04/2022 को अभियोजन शुरू किया गया है।

परिदृश्य	मामला	आवेदन की तारीख	समय बीता	दर	शमन प्रभार
परिदृश्य-I (No पहले आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया था)	मामला -I	12/10/2022 (17.10.2024 तक लंबित)	12 महीने से कम	अनुलग्नक-4 के अनुसार सामान्य शमन प्रभार	रु. 45,000/-
	केस-2	31/10/2024 (संशोधित दिशानिर्देश के तहत दाखिल किया गया)	12 महीने से अधिक	अनुलग्नक-4 के अनुसार सामान्य शमन प्रभार में 50% की वृद्धि	67,500/- रुपये (1.5 * ₹45,000)

परिदृश्य-2 (प्रथम आवेदन अस्वीकृत किया गया, संशोधित आवेदन दाखिल किया गया)	मामला-3	12/10/2022 (अस्वीकृत किया गया)	12 महीने से कम	एनए (आवेदन अस्वीकृत किया हुआ)	एनए
		31/10/2024 (संशोधित दिशानिर्देश के तहत दाखिल किया गया)	12 महीने से अधिक	सामान्य शमन शुल्क में 1.2 गुना 50% की वृद्धि	रु. 81000/- {1.5* (1.2* Rs 45,000)}

प्रश्न 33 कर चोरी की जाने वाली सूचना के अभाव में या मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन न किए जाने के कारण कम रिपोर्ट की गई आय पर कर की स्थिति में धारा 276गग के अंतर्गत अपराध के लिए शमन प्रभार की गणना कैसे की जाएगी?

उत्तर: ऐसे मामलों में, शमन प्रभार दिशानिर्देश के अनुलग्नक-4 के अनुसार धारा 276गग के तहत अपराध के शमन के लिए लागू न्यूनतम शमन प्रभार होगा। **(संदर्भः दिशानिर्देशों के अनुलग्नक 4)**

प्रश्न 34 क्या शमन प्रभारों में अभियोजन प्रतिष्ठान व्यय और मुकदमेबाजी व्यय शामिल हैं?

उत्तर: नहीं। इस तरह के खर्चों को संशोधित दिशानिर्देशों में हटा दिया गया है।

प्रश्न 35 क्या शमन प्रभार के भुगतान के लिए कोई विशिष्ट तरीका है?

उत्तर: हां, इसके लिए एक ही तरीका है, विभाग की वन-फाइलिंग वेबसाइट और पैन या टैन के माध्यम से लॉगइन करके भुगतान किया जा सकता है। उसी का तरीका इस प्रकार है:

"ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें → ई-भुगतान कर → नया भुगतान → आय कर → लघु शीर्ष → अन्य रसीदें (500) → शमन प्रभार।" **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 9.9)**

प्रश्न 36 यदि आवेदक कटौतीकर्ता है तो क्या पैन के आधार पर शमन प्रभार लगाया जा सकता है?

उत्तर: शमन प्रभार कटौतीकर्ता के टीएएन के तहत लगाया जाएगा। हालांकि, यदि आवेदक सह-अभियुक्त है तो सह-अभियुक्त के पैन के तहत शमन शुल्क लिया जा सकता है क्योंकि सह-अभियुक्त के पास मुख्य अभियुक्त के टीएएन तक पहुंच नहीं हो सकती है।

"वन-फाइलिंग पोर्टल में टीए → ई-भुगतान कर → नया भुगतान → आय कर → लघु शीर्ष → अन्य रसीदें (500) → शमन प्रभार के माध्यम से लॉगइन करें"। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 9.9)**

G. समय विस्तार (शमन प्रभार)

प्रश्न 37 क्या शमन प्रभार के भुगतान का समय बढ़ाया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, पैरा 9 .4 के दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिकतम 24 महीने की अवधि तक। **(संदर्भः दिशानिर्देशों के पैरा 9.4)**

प्रश्न 38 क्या शमन प्रभार के भुगतान का समय 24 महीने से आगे बढ़ाया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, 24 महीने से अधिक का विस्तार स्वीकार्य नहीं है और आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसके बाद अभियोजन कार्यवाही शुरू की जाएगी, यदि पहले से शुरू नहीं की गई है। हालांकि,

आवेदक उन्हीं विवरणों के लिए नया आवेदन दाखिल कर सकता है, जिसे शमन प्रभार के निर्धारण के उद्देश्य से बाद के आवेदन के रूप में माना जाएगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 9.4 और 10.3)**

प्रश्न 39. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, शमन प्रभारों के लिए भुगतान अवधि केवल उस महीने के अंत से 24 महीने तक बढ़ाई जा सकती है जिसमें शमन प्रभारों की सूचना दी गई थी। लंबित आवेदनों के लिए, जहां संशोधित दिशानिर्देश जारी करने से पहले भुगतान की शुरुआत की गई थी, लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया था, 24 महीने की अवधि की गणना कैसे की जाएगी? इसके अलावा, क्या ऐसे आवेदनों को दिशानिर्देशों के पैरा 9.4 के तहत विस्तार के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होगी?

उत्तर: 17.10.2024 पर लंबित आवेदनों के लिए, जिसमें पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार शमन प्रभारों का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया था या जिनमें निर्धारित समय समाप्त नहीं हुआ था, इन दिशानिर्देशों के जारी होने के महीने के अंत से यानी अक्टूबर 2024 से 24 महीनों की अवधि शुरू होगी। समय सीमा के विस्तार के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 9.4 में निर्धारित अनुमोदन की आवश्यकता होगी। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 और 9.4)**

प्रश्न 40 क्या शमन प्रभारों के भुगतान के विस्तार ब्याज या अतिरिक्त प्रभारों के अधीन हैं?

उत्तर: नहीं, दिशानिर्देशों के पैरा 9.4 के अंतर्गत स्वीकार्य विस्तार पर ब्याज या अतिरिक्त प्रभार
लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, संशोधित दिशानिर्देश जारी होने की तारीख तक लंबित मामलों के लिए, अतिरिक्त शमन प्रभार (पिछले दिशानिर्देशों के तहत प्रभार्य) लागू नहीं होगा और दिशानिर्देशों के पैरा 10 के अनुसार शमन प्रभार निर्धारित किया जाएगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 9.4 और 10)**

H. सह-अभियुक्त और दुष्प्रेरक-कंपनियों और एचयूएफ द्वारा अपराध

प्रश्न 41 क्या सह-अभियुक्त संशोधित दिशानिर्देश के तहत शमन आवेदन दाखिल कर सकता है?

उत्तर: हां, सह-अभियुक्त अपराध के शमन के लिए अलग से या साथ-साथ आवेदन कर सकता है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 11)**

प्रश्न 42 जहां सह-अभियुक्त का शमन आवेदन पहले इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मुख्य अभियुक्त ने शमन के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया है, क्या ऐसे आवेदक पुनः आवेदन करने के लिए पात्र होंगे? यदि हाँ, तो क्या ऐसा आवेदन एक बाद का आवेदन होगा?

उत्तर: हाँ, उस मामले को छोड़कर जहां अतीत में पात्रता के आधार पर आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, कोई भी सह-अभियुक्त आवेदक अलग से या संयुक्त रूप से शमन आवेदन फिर से दाखिल करने के योग्य है। इस तरह के आवेदन को शमन प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्य से बाद के आवेदन के रूप में माना जाएगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 3.2, 11 और 10)**

प्रश्न 43 इसी तरह, जहां मुख्य अभियुक्त का शमन आवेदन पहले इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सह-अभियुक्त ने शमन के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया है या वचनबद्धता नहीं दी है, क्या ऐसे आवेदक पुनः आवेदन करने के लिए पात्र होंगे? यदि हाँ, तो क्या ऐसा आवेदन एक बाद का आवेदन होगा?

उत्तर: हां, उस मामले के अलावा जहां आवेदन पूर्व में योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था, मुख्य अभियुक्त आवेदक सह-अभियुक्त के साथ अलग से या संयुक्त रूप से फिर से शमन आवेदन दाखिल करने के लिए

पात्र है। इस तरह का आवेदन शमन प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्य से बाद का आवेदन होगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 3.2, 11 और 10)**

प्रश्न 44 यदि पिछले दिशानिर्देशों के तहत सह-अभियुक्त या अभियुक्त द्वारा दाखिल कोई आवेदन लंबित है, तो क्या उन्हें संशोधित दिशानिर्देशों के तहत एक नया आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता है?

उत्तर: नहीं। ऐसे सभी लंबित आवेदन एक साथ जोड़े जाएंगे और संशोधित दिशानिर्देशों के तहत किसी भी आवेदक (मुख्य अभियुक्त और/या सह-अभियुक्त) को नया आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। इस समेकित आवेदन को शमन प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्य से पहले आवेदन के रूप में माना जाएगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 4.2.4, 11 और 10)**

प्रश्न 45 यदि आवेदन मुख्य अभियुक्त या सह-अभियुक्त या दोनों द्वारा सह-संयुक्त रूप से दाखिल किया गया है। क्या सह-अभियुक्त के लिए अलग शमन शुल्क लागू होगा या नहीं?

उत्तर: सह-अभियुक्त के लिए कोई अलग शमन प्रभार देय नहीं होगा, इस तथ्य के बावजूद कि आवेदन मुख्य अभियुक्त या सह-अभियुक्त या दोनों द्वारा सह-संयुक्त रूप से दाखिल किया गया है। संशोधित दिशानिर्देश के पैरा आईओ के अनुसार, संबंधित अपराध(ओं) के लिए केवल शमन प्रभार(ओं) देय होगा/होंगे। एक बार जब ऐसा भुगतान आवेदक द्वारा मुख्य अभियुक्त या सह-अभियुक्त या दोनों द्वारा सह-संयुक्त रूप से किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी मुख्य अभियुक्त के साथ-साथ सभी सह-अभियुक्तों के लिए संबंधित अपराधों को शमन करेगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 11 और 10)**

प्रश्न 46 क्या मुख्य अभियुक्त या सह-अभियुक्त के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कंपनी या एचयूएफ के अपराध के शमन के लिए शमन आवेदन दाखिल कर सकता है?

उत्तर: नहीं, मुख्य अभियुक्त या सह-अभियुक्त के अलावा कोई अन्य व्यक्ति शमन आवेदन दाखिल नहीं कर सकता है। आवेदक को समझौता आवेदन की क्रम संख्या 4 (संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक-1) में मुख्य अभियुक्त या सह-अभियुक्त के रूप में अपनी स्थिति का खुलासा करना आवश्यक है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 11 और अनुलग्नक-1)**

प्रश्न 47 क्या होगा अगर धारा 278ख के तहत अपराधों के लिए विभाग द्वारा सह-अभियुक्त की पहचान नहीं की गई है?

उत्तर: उन मामलों में जहां सह-अभियुक्तों की पहचान नहीं की गई है या ऐसी पहचान आयकर अधिनियम की धारा 278ख के तहत प्रगति पर है, तो मुख्य अभियुक्त या कोई भी व्यक्ति जो सहायक दस्तावेजों के साथ पुष्टि कर सकता है कि वह अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी या जिम्मेदार था, यू/एस 278ख (I) के तहत 'दोषी माने जाने वाले' के रूप में माना जाएगा, वह सह-अभियुक्त के रूप में आवेदन दाखिल कर सकता है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 11)**

प्रश्न 48 यदि किसी व्यक्ति ने प्रश्न संख्या 46 में दिए गए परिदृश्य में सह-अभियुक्त के रूप में शमन आवेदन दाखिल किया है, तो क्या अन्य सह-अभियुक्तों की पहचान करने की कोई आवश्यकता है?

उत्तर: ऐसे मामलों में अपराध के शमन के प्रयोजन के लिए अन्य सह-अभियुक्तों की पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, यदि इस तरह के शमन आवेदन को किसी भी कारण से खारिज कर दिया जाता है, तो संबंधित न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज करने के लिए सभी सह-अभियुक्तों को आयकर अधिनियम की धारा 278ख के अनुसार पहचानना आवश्यक होगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 11 और 10)**

प्रश्न 49 क्या सह-अभियुक्त दिशानिर्देशों के पैरा 4.5 में आवश्यकतानुसार अपीलों को वापस लेने के लिए एक वचनबद्धता प्रस्तुत कर सकते हैं? मुख्य अभियुक्त की ओर से?

उत्तर: नहीं, सह-अभियुक्त मुख्य अभियुक्त की ओर से अपील वापस लेने के लिए वचन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इस तरह की वचनबद्धता केवल मुख्य अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की जाएगी जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए यदि सह-अभियुक्त द्वारा आवेदन दाखिल किया गया है, चूंकि संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के तहत मुख्य अभियुक्त और सह-अभियुक्त दोनों के अपराधों को शमन किया जा रहा है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 11)**

प्रश्न 50 यदि आवेदन केवल मुख्य अभियुक्त या सह-अभियुक्त द्वारा दाखिल किया गया है, तो ऐसे मामले में किसके नाम पर शमन आदेश पारित किया जाएगा?

उत्तर: धारा 279(2) के अंतर्गत शमन आदेश उस व्यक्ति/यों के नाम पर पारित किया जाएगा, जिन्होंने शमन के लिए आवेदन किया है। यदि सह-अभियुक्त ने आवेदन किया है, तो आदेश में मुख्य अभियुक्त का नाम भी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले में जहां मुख्य अभियुक्त ने आवेदन किया है और सह-अभियुक्त की पहचान हो गई है, आदेश मुख्य अभियुक्त और सह-अभियुक्त के नाम पर पारित किया जाएगा। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-1 और 3)**

प्रश्न 51 क्या सह-अभियुक्त शमन आवेदन दाखिल कर सकता है जहां दिवाला दिवालियापन संहिता के तहत मुख्य अभियुक्त कंपनी की देनदारी समाप्त हो जाती है?

उत्तर: सह-अभियुक्त की देनदारी मुख्य अभियुक्त कंपनी की देनदारी समाप्त होने पर भी समाप्त नहीं होती है। सह-अभियुक्त ऐसे मामलों में शमन आवेदन दाखिल कर सकता है, या तो अलग से या साथ-साथ और शमन शुल्क का भुगतान सह-अभियुक्त या मुख्य अभियुक्त कंपनी द्वारा किया जा सकता है। **(संदर्भ: दिशानिर्देशों के पैरा 11.4)**

प्रश्न 52 निर्धारिती कंपनी/मुख्य अभियुक्त सीएलटी/सीआईआरपी/परिसमापन के अधीन है और या तो धारा 14 के प्रावधानों के कारण स्थगन है या दिवाला दिवालियापन संहिता ('आईबीसी') की धारा 33 के प्रावधानों के कारण कंपनी के खिलाफ परिसमापन प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसी स्थितियों में, क्या दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 (सभी करों, ब्याज और अन्य राशियों के भुगतान के संबंध में) लागू होगा या नहीं?

उत्तर: दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4.3 में निर्धारित शर्तें लागू होंगी, जैसा कि नीचे बताया गया हैः

मामला 1: अधिस्थगन अवधि के दौरान: मुख्य अभियुक्त से देय मांग अधिस्थगन अवधि के दौरान समाप्त नहीं होती है। यदि कोई सह-अभियुक्त अधिस्थगन अवधि के दौरान शमन के लिए आवेदन दाखिल करता है, तो दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 4.3 लागू होगा।

मामला 2: समाधान योजना (परिसमापन कार्यवाही) को अस्वीकार करने के बाद: समाधान योजना को अस्वीकार करने पर, आईबीसी की धारा 33 के तहत परिसमापन की कार्यवाही शुरू होती है। लंबित मांग परिसमापक के समक्ष एक वैध दावा बन जाती है। यदि सह-अभियुक्त समाधान योजना की अस्वीकृति के बाद शमन हेतु आवेदन दाखिल करता है, तो दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 4.3 लागू होगा।

मामला 3: समाधान योजना की स्वीकृति के बाद: एक बार समाधान योजना को आईबीसी की धारा 31 के तहत स्वीकृति मिल जाने पर, मुख्य अभियुक्त कंपनी अपराध से मुक्त हो जाता है, बशर्ते कि आईबीसी की धारा 32क में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रबंधन में बदलाव हो। हालांकि, सह-अभियुक्त अपराध के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं। यदि कोई सह-अभियुक्त समाधान योजना के अनुमोदन के बाद आवेदन दाखिल करता है, तो दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 4.3 लागू होगा।

(शलिंदर कौर)

एडीआईटी (अभियोजन), सीबीडीटी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि-

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/राज्य मंत्री (राजस्व) के निजी सचिव
2. सचिव (राजस्व) के निजी सचिव
3. अध्यक्ष, सीबीडीटी
4. सभी सदस्य, सीबीडीटी
5. सभी प्रधान डीजीएसआईटी/प्रधान सीसीएसआईटी
6. सीबीडीटी में सभी अधिकारी संयुक्त सचिव/सीआईटी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएएंडजी)
8. सीआईटी (मीडिया एवं तकनीकी नीति), सीबीडीटी
9. अपलोड करने के लिए एडीओ (प्रणाली)-4 www.incometaxindia.gov.in
10. अतिरिक्त डीआईटी, डेटाबेस सेल, www.irsofficersonline.gov.in., _ पर अपलोड करने के लिए

(शलिंदर कौर)

एडीआईटी (अभियोजन), सीबीडीटी, नई दिल्ली